

समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
जिला स्थापना शाखा
आदेश

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-7566 दिनांक-14.07.2010 में संसूचित प्रावधान के अनुसार दिनांक-14.03.2016 को हुई जिला स्क्रीनिंग समिति की बैठक तथा दिनांक-16.06.2016 को हुई जिला प्रोन्नति समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में समाहरणालय सम्बर्ग के निम्नांकित चालकों को उनके नाम के समक्ष कॉलम-4 में अंकित तिथि एवं वेतनमान में रूपान्तरित वेतन उन्नयन की स्वीकृति दी जाती है।

क्र०	चालक का नाम एवं वर्तमान पदस्थापन	नियुक्ति तिथि	वेतन उन्नयन/रूपान्तरित वेतन उन्नयन की तिथि वेतनमान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	म० मजीद, अंचल कार्यालय, मोतिहारी।	23.03.83	23.03.13 PB-2 GP-4200 III एम०ए०सी०पी	
2.	प्रकाश कुमार पारावान, जिला भोपनीय शाखा।	22.07.94	22.07.14 PB-1 GP-2800 II एम०ए०सी०पी	
3.	रामाशीष राउत, प्रखंड कार्यालय, तुरकौलिया।	18.02.83	18.02.13 PB-2 GP-4200 III एम०ए०सी०पी	
4.	राजकुमार प्रसाद, अंचल कार्यालय, अरेराज।	30.06.81	30.06.11 PB-2 GP-4200 III एम०ए०सी०पी	
5.	सफाकत हुसैन, प्रखंड कार्यालय, चिरैया।	22.08.89	22.08.09 PB-1 GP-2800 II MACP	

- भविष्य में किसी भी कर्मी के किसी प्रविष्टि के संबंध में कोई अन्यथा या प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आते हैं तो देय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० वेतन उन्नयन आदेश में आवश्यक संशोधन करते हुए भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी।
- सभी कार्यालय प्रधान उन्नयन लाभ देने के पूर्व सेवापुस्त की जांच कर लेंगे एवं प्रविष्टि के संबंध में कोई त्रुटि होने पर तत्क्षण इसकी सूचना जिला स्थापना उप समाहर्ता को देना सुनिश्चित करेंगे।
- ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० वेतन उन्नयन का लाभ देने के पूर्व संबंधित कार्यालय प्रधान संबंधित कर्मी से इस आशय का स्वयंप्रथ (Undertaking) प्राप्त कर लेंगे, कि स्वीकृत वेतन उन्नयन में किसी तरह की त्रुटि, त्रुटि या त्रुटिपूर्ण त्रुटि के कारण आदेश प्राप्त होने के बाद कोई भी त्रुटि या त्रुटिपूर्ण त्रुटि का विधान नहीं किया जायेगा और त्रुटिपूर्ण त्रुटि को उन्नयन के लाभ को प्रभावित नहीं करेगा।

समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, बिहार, दिनांक 14.07.2016

5. वेतन उन्नयन प्राप्त कर्मी आदेश निर्गत की तिथि के एक माह के अंदर यह विकल्प दे सकते है कि वित्तीय उन्नयन की तिथि से वेतन निर्धारण का लाभ लेंगे या अगली वेतनवृद्धि की तिथि से। निर्धारित तिथि तक विकल्प नहीं देने की स्थिति में उन्नयन की तिथि से वेतन निर्धारण लाभ दिया जायेगा एवं उनका दावा मान्य नहीं होगा।
6. वेतन उन्नयन/रूपान्तरित वेतन उन्नयन में वेतन निर्धारण नियम-22(1)A(i) के अनुसार किया जायेगा।

६०/—

जिला स्थापना उप समाहर्ता,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 476/स्था0, मोतिहारी दिनांक 08/07/2016

प्रतिलिपि:—सभी संबंधित चालक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—सभी संबंधित कार्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी एवं ढाका/जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/जिला लेखा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—अपर समाहर्ता/उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

8-7-16.

जिला स्थापना उप समाहर्ता,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।